

आदेश

शासनादेश सं० 2885/12-2-2003-एस-19/2002 दिनांक 30.05.2003 के क्रम में उ०प्र० बीज विकास निगम के पत्र सं० यूपीसीड/4227/विपणन-05/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा खरीफ 2024 हेतु प्रमाणित बीजों की सूचित दरों के दृष्टिगत कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा दिनांक 28.03.2024 को प्राप्त अनुमोदन के क्रम में खरीफ 2024 में प्रमाणित बीजों की कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर एवं कृषकों में वितरण हेतु फुटकर विक्रय दर निम्नवत् निर्गत की जाती है :-

(दर ₹०/कु०)

क्रं.	फसल/प्रजाति का नाम	कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर	फुटकर विक्रय दर
1	धान बासमती : (समस्त प्रजाति)	5,946.00 (₹० पाँच हजार नौ सौ छियालिस मात्र)	6,534.00 (₹० छः हजार पाँच सौ चौतीस मात्र)
2	उर्द : (समस्त प्रजाति)	13,352.00 (₹० तेरह हजार तीन सौ बावन मात्र)	13,765.00 (₹० तेरह हजार सात सौ पैंसठ मात्र)
3	मूँग : (समस्त प्रजाति)	13,885.00 (₹० तेरह हजार आठ सौ पचासी मात्र)	14,314.00 (₹० चौदह हजार तीन सौ चौदह मात्र)
4	सोयाबीन : (समस्त प्रजाति)	7,890.00 (₹० सात हजार आठ सौ नब्बे मात्र)	8,670.00 (₹० आठ हजार छः सौ सत्तर मात्र)
5	बाजरा संकुल : (समस्त प्रजाति)	5,257.00 (₹० पाँच हजार दो सौ सत्तावन मात्र)	5,777.00 (₹० पाँच हजार सात सौ सतहत्तर मात्र)
6	ज्वार संकुल : (समस्त प्रजाति)	6,237.00 (₹० छः हजार दो सौ सैंतीस मात्र)	6,497.00 (₹० छः हजार चार सौ सत्तानबे मात्र)
7	मूँगफली : (समस्त प्रजाति)	9,990.00 (₹० नौ हजार नौ सौ नब्बे मात्र)	10,406.00 (₹० दस हजार चार सौ छः मात्र)
8	रागी : (समस्त प्रजाति)	7,471.00 (₹० सात हजार चार सौ इकहत्तर मात्र)	8,210.00 (₹० आठ हजार दो सौ दस मात्र)
9	सांवा : (समस्त प्रजाति)	7,471.00 (₹० सात हजार चार सौ इकहत्तर मात्र)	8,210.00 (₹० आठ हजार दो सौ दस मात्र)
10	कोदो : (समस्त प्रजाति)	7,471.00 (₹० सात हजार चार सौ इकहत्तर मात्र)	8,210.00 (₹० आठ हजार दो सौ दस मात्र)

अनुदान समायोजन के सम्बन्ध में सम्बन्धित परियोजना निदेशक द्वारा प्रसारित आदेशों/निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें। उक्त दरें वेबसाईट एवं मण्डलीय/जनपदीय विभागीय अधिकारियों की ई-मेल पर उपलब्ध हैं।

(अरविन्द कुमार सिंह)

अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश

(बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग)

कृषि भवन, लखनऊ।

फोन/फैक्स : 0522-2205863 ई-मेल : adaseedandfarmiko@gmail.com

पत्रांक:एस०एफ०-2452-T/29टी/बीज दर-12/जायद-2024 दिनांक: 29-3-2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ को उक्त दरों को विभागीय वेबसाईट/डी०बी०टी० पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. बीज आवंटन पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दरों के अनुसार डी०बी०टी० पोर्टल पर मास्टर लोड कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक(शोध) उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/प्रधानाचार्य राजकीय कृषि विद्यालय, उ०प्र०।
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/समस्त अपर कृषि निदेशक/परियोजनाधिकारी कृषि भवन, लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौ०वि०वि०, कुमारगंज, अयोध्या।
7. संयुक्त निदेशक, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौ०वि०वि०, मोदीपुरम, मेरठ।
8. निदेशक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौ०वि०वि०, कानपुर एवं शुआट्स नैनी, प्रयागराज।
9. उप निदेशक, पशुधन विभाग, लखनऊ।
10. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० बीज विकास निगम/पी०सी०एफ०/यू०पी०एग्रो/भूमि सुधार निगम लखनऊ।
12. कृषि निदेशक, उ०प्र० के अवलोकनार्थ।
13. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, कृषि अनुभाग-2, सचिवालय लखनऊ।

अपर कृषि निदेशक,